(Rs. 23,700) in the assessment year 1966-67.

(d) Government proposes to make enquiries as to the exact amount received by her from the University and whether such amount has been offered for assessment and whether the amount has been brought to India.

मैसर्स जरनेल सिंह एण्ड सन्स, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर और आयकर का भुगतान

10266. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स जरनेल सिंह एण्ड सन्स, नई दिल्ली ने फर्म के शुरू होने से लेकर अब तक सरकार को केन्द्रीय बिक्री कर और आयकर का भुगतान नहीं किया है और यदि हां, तो फर्म की ओर क्या बकाया राशि है; और

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय बिक्री कर और आयकर के भुगतान से बचने के लिए यह फर्म शुरू से ही अपने द्वारा बनाई गई मशीनरी बिना बिल के बड़े पैमाने पर बेच रही है और यदि हां, तो क्या सरकार इन सभी तथ्यों के बारे में जांच करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) (क) और (ख). प्रश्न में मैसर्स जरनेलसिंह एण्ड सन्स का पता नहीं दिया गया है । फिर भी, फिलहाल उपलब्ध सूचना के अनुसार, जरनेलसिंह एण्ड सन्स, नई दिल्ली के नाम से किसी पार्टी का आयकर आयुक्त, नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कर निर्धारण नहीं किया गया है । और इसलिए उसके द्वारा आयकर की किसी प्रकार की अदायगी किये जाने अथवा उसकी ओर आयकर बकाया होने का प्रश्न नहीं उठता ।

जहां तक केन्द्रीय बिक्री कर का सम्बन्ध है, मैसर्स जरनेलसिंह एण्ड सन्स, 2580/9, गली नं० 15, कैलाश नगर (गांधी नगर) दिल्ली-110031 के नाम की एक फर्म दिल्ली प्रशासन के बिक्री कर विभाग में पंजीकृत है और उसने 6-12-75 को 105 रु० की अपनी एकमात्र अन्तर्राज्यीय बिक्री के सम्बन्ध में 10.50 रु० का केन्द्रीय बिक्री कर अदा किया है । रिकार्ड के अनुसार, इस व्यापारी ने 6-12-1975 को अपना पंजीकरण कराने के बाद कोई अन्य अन्तर्राज्यीय बिक्री नहीं की है । इस व्यापारी के नाम केन्द्रीय बिक्री कर की कोई रकम बकाया नहीं है ।

मैसर्स जरनेलसिंह एण्ड सन्स, 5/1-ए, कीर्ति-नगर औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली के नाम का एक अन्य व्यापारी दिल्ली प्रशासन के बिक्री कर विभाग में पंजीकृत था और ढलाई मशीनों के निर्माण तथा बिक्री का व्यापार करता था । इस व्यापारी द्वारा की गई अदायगियों के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :

वर्ष	आयकर विवरणी के साथ अदा किया गया कर	कर निर्धारण के कारण जारी की गयी अतिरिक्त मांग
1973-74	375/- रु०	875/- रु०
1974-75	210/- रु०	कर निर्धारण नहीं किया गया ।
1975-76	कुछ नहीं	कर निर्धारण नहीं किया गया ।

रिकार्ड के अनुसार, ऊपर उल्लिखित व्यापारियों में से पहले व्यापारी ने 6-12-75 को बिल नं० 70486 के जरिए 105 रु० की एक मात्र अन्तर्राज्यीय बिक्री की जिस पर 10 प्रतिशत की दर से देय कर के 10.50 रु० अदा कर दिये हैं । 7-5-76 को भी जांच की गयी थी जिसमें किसी विसंगति का पता नहीं चला ।

रिकार्ड में ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता जिससे यह पता चले कि ऊपर उल्लिखित व्यापारियों में से दूसरे व्यापारी ने उचित बिल जारी किये बिना मशीनरी की बिक्री की ।

दैनिक अवंतिका और मेहता प्रिंटिंग प्रेस, उज्जैन के मालिकों तथा साझीदारों द्वारा आयकर का भुगतान

10267. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दैनिक अवंतिका और मेहता प्रिंटिंग प्रेस, उज्जैन, मध्य प्रदेश के मालिकों तथा साझीदारों ने गत तीन वर्षों में आयकर भुगतान नहीं किया है और यदि हां, तो उक्त अवधि में साझीदारों और मालिकों की और अलग-अलग आय कर की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) क्या आयकर अधिकारी बकाया आयकर का भुगतान न करने के लिए उनके विरुद्ध इस भय से कार्यवाही नहीं करते कि वे उन्हें बदनाम करने के लिए समाचार प्रकाशित कर देंगे और यदि हां, तो क्या सरकार ने वहां आयकर अधिकारियों को यह आदेश जारी किये हैं कि उनसे आयकर की बकाया राशि वसूल करने के प्रभावकारी कदम उठाये जायें ?